न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 33/21 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/105

उनवान

1. बसन्त कुमार उम्र करीब 41 वर्ष पुत्र बनवारी लाल जाति राजपूत निवासी ग्राम बाजना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. कुसमा देवी पत्नी कालीचरन जाति राजपूत निवासी ग्राम परैरा तहसील वाह जिला आगरा।

..... असल रैस्पोडेण्ट

2. लीलावती पत्नी भगवान सिंह
3. पंचम सिंह पुत्र भगवान सिंह
4. भगवानदास पुत्र भगवान सिंह

} जाति राजपूत नि0 ग्राम बाजना तह0 राजाखेडा, धौलपुर।

5. भूमि विकास बैंक शाखा राजाखेडा जरिये प्रबंधक।
6. छोटी पुत्री भोगी जाति राजपूत निवासी ग्राम छत्तापुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा।
7. लक्ष्मन सिंह पुत्र लज्जाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम छत्तापुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.07.2019 प्रकरण संख्या 49/10 शीर्षक कुसमा देवी बनाम लीलावती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा।

अभिभाषकगण :–

1. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–29.05.2024

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय दिनांक 08.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बाजना तहसील राजाखेडा में स्थित है। जिसमें वादी असल रैस्पो0 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। यह आराजी वादी असल रैस्पो0 ने साविक खातेदार लीलावती से क्रयकर्ता लक्ष्मन सिंह पुत्र लज्जाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम छत्तापुरा तहसील खैरागढ जिला आगरा से क्रय की थी। लक्ष्मन सिंह ने अपने 1/2 भाग का विक्रय दिनांक 20.03.2008 को किया था। दावा दायरी से 15 दिवस पूर्व जब वादी असल रैस्पो0 अपने खेतो में गये तो प्रतिवादी तरतीवी रैस्पो0 ने अपने पुत्रो के साथ धमकी दी, कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प धौलपुर

विवादित आराजी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वादी असल रैस्पो0 ने पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि वादी असल रैस्पो0 का राजस्व रिकार्ड में मुताबिक विक्रय पत्र नाम नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आंशिक रूप से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. धारा 96 जा0दी0 में प्रार्थी अपीलाण्ट का कथन है कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 14.05.2010 को क्रय किया था और उसका नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 1430 दिनांक 22.05.2015 को राजस्व अभिलेख में भी दर्ज हो गया। असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 23.06.2010 को प्रस्तुत किया गया अर्थात दावा दायरी से पूर्व ही प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में से लीलावती व भगवानदास का हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय कर लिया था जिस कारण प्रार्थी प्रकरण के लिये आवश्यक पक्षकार था। परन्तु उभयपक्षकारान ने आपसी साजिश कर प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया एवं अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। इस प्रकार प्रार्थी अपीलाण्ट के विवादित आराजी में हित निहित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन विचारणीय हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट का विवादित आराजी में हित होना अंकित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि असल रैस्पो0 ने वयनामा को आधार बनाते हुये अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जबकि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी में अपीलाण्ट भी सहखातेदार है। पूर्व में विवादित आराजी से संबंधित प्रकरण संख्या 74/2006 उनवानी छोटी बनाम पंचम चला जो सन् 2008 में निर्णित हुआ। उक्त डिक्री से ही विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ। वर्तमान अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट विवादित आराजी में केवल 1/4 हिस्से का खातेदार रह गया है। यदि असल रैस्पो0 को पूर्व दावे के निर्णय से कोई आपत्ति थी, तो उसे उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट का प्रकरण में पक्षकार मुकदमा जोडते हुये एवं सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्र अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070–73 में अंकित विवादित आराजी 1016, 1019 में अपीलाण्ट विवादित आराजी में 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ गया था कि विवादित आराजी में बसंत कुमार सहखातेदार दर्ज है एवं उनके विवादित आराजी में हित निहित हैं। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि "प्रकरण संख्या 14/14 छोटी बनाम भगवानदास निर्णय दिनांक 14.03.2016 के जरिये विवादित आराजी खसरा नम्बर 1016 एवं खसरा नम्बर 1019 का बॅटवारा किया जा चुका है एवं बटा नम्बर कायम हो चुके हैं। लीलावती द्वारा विक्रय किया गया हिस्सा बसन्त कुमार के हिस्से में आये खसरा नम्बर 1016/2 एव 1019/2 के हिस्से 3/4 में शामिल है। इसलिये कुसुमा देवी वादिया को भी अपना हिस्सा बसन्त कुमार के हिस्से मे से ही प्राप्त होगा" उपरोक्त तथ्य संज्ञान में आने पर अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह वादिया रैस्पो0 को बसन्त कुमार को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने की हिदायत देते। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये बिना अपीलांट को सुने उनके हिस्से की आराजी में से रकवा काटते हुये वादिया रैस्पो0 के पक्ष में डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2019 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाते हुये एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर